N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0216 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 26/09/2024 18:44 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 18/09/2024 **Date To (दिनांक तक):** 25/09/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 15:00 बजे **Time To (समय तक):** 14:54 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 26/09/2024 **Time (समय):** 18:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 26/09/2024 18:44:22 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-WEST, 110 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** JILA COLLECTOR BALOTARA KE BAHAR, MUKHYA JODHPUR-BADHMER, SADAK MARG PAR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** JABBAR SINGH
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** MAKARAM
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1992 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	ITAWAYA, SIWANA, SIWANA, बालोतरा, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	ITAWAYA, SIWANA, SIWANA, बालोतरा, RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**
Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SHAITANARAM		पिता:BHANWRARAM	1. DEWLIYALI/DOLIYALI, SAMDARI,बालोतरा,RAJASTHAN, INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**
9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		23,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 23,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामं, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ए.सी.बी. जोधपुर विषयः- रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़वाने बाबत। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं जब्बरसिंह पुत्र श्री मकाराम जी जाति राजपुरोहित उम्र 32 वर्ष निवासी गांव ईटवाया तहसील सिवाणा जिला बालोतरा का रहने वाला हूं। मेरे विरूद्ध पुलिस थाना बागरा जिला जालोर में प्रकरण संख्या 20/2020 धारा 451, 379, 427 भादस में दर्ज किया गया जिसमें जांच कर जालोर कोर्ट में चालान पेश हो चुका है। करीब साल भर पहले श्री शैतानाराम का व मेरा ग्राम पादरू में एक फोटो कॉपी की दुकान पर आना जाना होने के कारण वह मुझे वहां मिला तथा मेरी जान पहचान हुई तथा उसने बताया कि मैं जिला कलेक्टर बालोतरा के कार्यालय में बाबू हूं। जिस पर मैनें मेरे विरूद्ध विचाराधीन प्रकरण के बारे में उन्हें बताने पर उसने मुझे आश्वस्त किया कि मेरी जालोर कोर्ट में एवं जोधपुर हाईकोर्ट में अच्छी पहचान है मैं आपके खिलाफ चल रहे प्रकरण में बरी करवा दूगा। इस संबंध में तुम अपने मुकदमें के कागजात लेकर मेरे से समदड़ी आकर मिलना और भी कोई राजस्व संबंधी काम हो तो मुझे बताना। श्री शैतानाराम ने मुझे आज से करीब 15 दिन पहले फोन कर समदड़ी बुलाने पर मैं मेरे मुकदमें के कागजात लेकर समदड़ी गया तथा शैतानाराम से मिला तो उन्होंने मेरे मुकदमें के कागज लेकर मुझे कहा कि, तुम्हारे खिलाफ जालोर कोर्ट में विचाराधीन प्रकरण में बरी करवा दूगां। लेकिन इसके बदले में 22,000 रूपये आगे देने के लिए देने पडे़गें तथा 5000 रूपये मेरे आने जाने के खर्चे के लिए देने पड़ेगें कुल 27,000 रूपये देने पडे़गे। जिस पर मैनें श्री शैतानाराम के कहेनुसार दिनांक 16.09.2024 को व 20.09.2024 को समदड़ी स्थित हरिओम ई-मित्र के खाते में 2000-2000 रूपये श्री शैतानाराम को देने के लिए जमा करवाये थे। अब मैं श्री शैतानाराम द्वारा मेरे कार्य की एवज में मांगी गई शेष रिश्वत राशि 23000 रूपये नहीं देकर उसे रिश्वती राशि लेते हुए को रंगे हाथों गिरफ्तार करवाना चाहता हूं। मेरा बाबुजी श्री शैतानाराम जी से निजी तौर पर कोई लेन देन नहीं है और ना ही मैं उनसे किसी तरह से द्वेष भावना रखता हूँ दिनांक 18.09.2024भवदीय एस.डी. राकेश कुमार मीणा एस.डी गोरधनराम 25.09.2024 एस.डी. राजेश कुमार 25.09.2024एस.डी. जब्बरसिंह जब्बरसिंह पुत्र श्री मकाराम जाति राजपुरोहित उम्र 32 वर्ष निवासी गांव ईटवाया तहसील सिवाणा जिला बालोतरा मोबाइल- [redacted]कार्यवाही पुलिस दिनांक 18.09.2024 समय 0300 पी.एम. इस समय परिवादी श्री जब्बरसिंह पुत्र श्री मकाराम जाति राजपुरोहित आयु 32 साल निवासी गांव ईटवाया तहसील सिवाणा जिला बालोतरा ने कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट जोधपुर में उपस्थित होकर मन गोरधनराम उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष एक हस्तलिखित रिपोर्ट उपरोक्त तथ्यों पेश की एवं दरियाफ्त पर बताया कि श्री शैतानाराम जो कि जिला कलेक्टर बालोतरा के कार्यालय में बाबू है जो मेरे विरूद्ध जालोर कोर्ट में विचाराधीन प्रकरण में बरी कराने एवं गांव बागरा में स्थित डोली की जमीन को मेरे नाम करवाने का आश्वासन दिया तथा इस कार्य के एवज में रिश्वती राशि 22000 रूपये मांग रहा है। मैं पढ़ा-लिखा नहीं होने के कारण उपरोक्त रिपोर्ट मैनें मेरे पड़ौसी एवं विश्वसनीय व्यक्ति श्री नरपतराम पुत्र श्री गमाराम जी जाति मेघवाल निवासी ईटवाया तहसील सिवाणा जिला बालोतरा से लिखवाकर लाया हूं जिस पर मेरे हस्ताक्षर है। उक्त रिपोर्ट मन उप अधीक्षक पुलिस को परिवादी को पढकर सुनाई गई तो उसने शिकायत में अंकित समस्त तथ्य सही होना बताया। परिवादी ने अपना आधार कार्ड की फोटो प्रति स्वप्रमाणित प्रार्थना पत्र के साथ पेश की। वगैरा रिपोर्ट से प्रथम दृष्टाया मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का पाया जाने पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय से बाहर होने पर जरिये फोन उपरोक्त हालात निवेदन किये गये। जिस पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी की रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश् प्रदान किये। जिस पर गोपनीय रिश्वती राशि मांग सत्यापन करवाये जाने का निर्णय लिया जाकर कार्यालय में पदस्थापित श्री रामचन्द्रसिंह कानि नं0 432 को अपने कार्यालय कक्ष मे बुलाकर पूर्व से उपस्थित परिवादी श्री जब्बरसिंह व कानि. का आपसी परिचय करवाकर कानि. को बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाया गया। परिवादी श्री जब्बरसिंह व श्री रामचन्द्रसिंह कानि. के मोबाईल नम्बर आपस में आदान प्रदान करवाये गये। तत्पश्चात कार्यालय का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय नये मैमोरी कार्ड के अलमारी से निकलवाकर परिवादी को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर की संचालन की विधी समझाईश की गई तथा परिवादी द्वारा बताया गया कि आज समय ज्यादा हो जाने के कारण श्री शैतानाराम के मिलने की संभावना नहीं है। जिस पर अग्रीम कार्यवाही आईन्दा करने का निर्णय लेकर कार्यालय का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को पुनः कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। परिवादी को अब तक की कार्यवही की गोपनीयता

बरतने एवं आरोपी द्वारा सम्पर्क करने पर तुरन्त मन् उप अधीक्षक पुलिस को या श्री रामचन्द्रसिंह कानि. को सुचित करवाने हेतु निर्देशित कर कार्यालय हाजा से रूखसत किया गया। दिनांक 20.09.2024 को वक्त 0335 पी.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस को कानि. रामचन्द्रसिंह ने बताया कि परिवादी श्री जब्बरसिह ने मेरे मोबाईल पर कॉल कर बताया कि आरोपी श्री षैतानाराम से सम्पर्क किया तो उन्होने मुझे दिनांक 24.09.2024 को अपने कार्यालय में बुलाया है जिनसे मेरी रिश्वती राशि मांग के संबंध में वार्ता हो सकती है। जिस पर कानि रामचन्द्रसिंह को दिनांक 24.09.2024 को मन् उप अधीक्षक पुलिस से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त कर परिवादी से सम्पर्क कर गोपनीय मांग सत्यापन करवाकर लाने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 23.09.2024 को वक्त 0600 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा ब्यूरो मुख्यालय पर श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर द्वारा अपराध गोष्ठी प्रस्तावित होने के कारण जयपुर जाना आवश्यक होने तथा कल दिनांक 24.09.2024 को परिवादी श्री जब्बरसिंह के कहेनुसार आरोपी श्री शैतानाराम से रिश्वती राशि मांग सत्यापन किया जाना प्रस्तावित होने पर श्री रामचन्द्रसिंह कानि. को कार्यालय कक्ष में बुलाकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर अलमारी से निकलवाकर उसमे नया मैमोरी कार्ड डलवाया गया। तत्पश्चात मैमोरी कार्ड खाली होना सुनिश्चित कर कानि रामचन्द्रसिंह को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के संचालन की विधि समझाईस कर आवश्यक हिदायत के साथ डिजिटल वॉइस रिकॉर्ड श्री रामचन्द्रसिंह कानि को सुपुर्द कर निर्देशित किया गया कि कल मैं अपराध गोष्ठी में जयपुर रहूगां आप परिवादी श्री जब्बरसिंह से सम्पर्क कल दिनांक 24.09.2024 को बालोतरा पहुचकर रिश्वती राशि मांग की वार्ता रिकॉर्ड कर लावें तथा समस्त हालात जरिये फोन मन उप अधीक्षक पुलिस को बतावें। दिनांक 24.09.2024 को वक्त 0653 पीएम पर श्री रामचन्द्रसिंह कानि. अपने फोन से कॉल कर मुझे बताया था कि मैं आज आप के निर्देशानुसार ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर बालोतरा पहुचां जहां पर पूर्व से पाबन्द शुदा बस स्टेण्ड पर परिवादी श्री जबरसिंह उपस्थित मिला तथा परिवादी ने मुझे बताया कि आज कुछ राशि देने पर ही श्री शैतानाराम बात करेगा जिस पर मैनें उसके पास राशि होने के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मेरे पास आज 5000 रूपये है जिस पर आपके निर्देशानुसार परिवादी के पास 500-500 के 10 नोट कुल राशि 5000 रूपये के नोटों के फोटो खिंचकर मेरे मोबाईल में सेव किये। तत्पश्चात परिवादी के मोबाईल नम्बर [redacted] का स्पीकर ऑन करवाकर आरोपी श्री शैतानाराम के मोबाईल नम्बर [redacted] पर वार्ता करवाकर उसकी उपस्थित जानने के बारे में पूछवाया गया तो उसने अपने कार्यालय में उपस्थित होना बताया तथा परिवादी को कार्यालय गेट पर आने के लिए कहा उक्त वार्ता को मैनें डीवीआर में रिकॉर्ड किया। तत्पश्चात मैं व परिवादी श्री जब्बरसिह वहां से रवाना होकर कलेक्टर कार्यालय बालोतरा के पास पहुचे जंहा पर मैने परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर स्विच ऑन कर सुपुर्द कर श्री शैतानाराम से रिश्वत राशि मांग की वार्ता करने के लिए परिवादी को जिला कलेक्टर कार्यालय बालोतरा की तरफ रवाना किया। मैं अपनी उपस्थिति छुपाते हुए कलेक्टर कार्यालय बालोतरा के पास खड़ा होकर परिवादी के वापस आने के इन्तजार में मुकिम रहा। कुछ समय बाद परिवादी कलेक्टर कार्यालय बालोतरा से बाहर मेरे पास उपस्थित आया व डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द किया। जिस पर मैनें डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर स्विच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पष्चात परिवादी ने मुझे बताया कि मैं आपके पास से रवाना होकर कलेक्टर कार्यालय बालोतरा के गेट पर पहुचां एवं शैतानाराम को पुनः फोन लगाकर बाहर बुलाने पर वह गेट के बाहर आया व मेरे से मिला, श्री शैतानाराम से मेरे कार्य के संबंध में वार्ता हुई। वार्ता के दौरान श्री शैतानाराम द्वारा मेरे विरूद्ध विचाराधीन प्रकरण में नाम निकलवाने एवं डोली की जमीन नाम करवाने की एवज में शेष तय की गई रिश्वती राशि 23000 रूपये मांगने पर मेरे पास उपलब्ध 5000 रूपये उन्हें देकर बताया कि मेरे पास आज 5000 रूपये ही है जिस पर शैतानाराम ने कहा कि शेष राशि 18000 रूपये कल दे देना। इस प्रकार रिश्वती राशि कल दिनांक 25.09.2024 को लेना तय होने पर आपके निर्देशानुसार परिवादी को रिश्वती राशि की व्यवस्था कर कल दिनांक 25.09.2024 को 0900 एएम पर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आने की आवश्यक हिदयात कर वहीं रूखसत किया गया है। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री रामचन्द्रसिंह कानि को निर्देशित किया कि कार्यालय पहुचकर डीवीआर कार्यालय के अलमारी में सुरक्षित रखकर लॉक कर चाबी अपने पास सुरक्षित रखें। दिनांक 25.09.2024 को प्रातः 08 बजे कार्यालय मे उपस्थित मिले जिसकी पालना में श्री रामचन्द्रसिंह कानि. कार्यालय में उपस्थित हैं जिन्हें अपने कार्यालय कक्ष में बुलाने पर उसने मुझे पूर्व में जरिये फोन बताये तथ्य ही बताये तथा कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा डीवीआर मुझे सुपुर्द किया। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को ऑन कर परिवादी श्री जब्बरसिंह व आरोपी श्री शैतानाराम के मध्य हुई रिश्वती राशि मांग वार्ता को सुना गया तो श्री रामचन्द्र सिंह कानि. के बताये तथ्यों की ताईद होकर रिश्वती राशि मांगने की पुष्टि होने पर अग्रिम ट्रेप कार्यवही में दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से सहायक अभियंता ए-3 डिस्कॉम जोधपुर के नाम कार्यालय पत्र क्रमांक 2203 दिनांक इमरोजा तेहरीर जारी कर श्री अर्जुनसिह कानि. 319 को सुपुर्द कर दो गवाहान की तलबी की गई। वक्त 1105 ए.एम. परिवादी श्री जब्बरसिह ब्यूरो कार्यालय मे उपस्थित आया तथा मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि आरोपी को दी जाने वाली रिश्वति राशि साथ लेकर आया हॅू एवं इसी दरम्यान श्री अर्जुनसिह कानि. 319 सहायक अभियंता कार्यालय से दो कार्मिक लेकर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया। जिस पर दोनों कार्मिको को मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अपना परिचय देकर उनको बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाकर उक्त दोनो कार्मिको का परिचय पूछा

तो उन्होने अपना परिचय बारी-बारी से श्री राकेश कुमार मीणा पुत्र भगवान सहाय मीणा आयु 41 साल जाति मीणा निवासी माधवनगर, मोडा बालाजी वार्ड नं0 02 दौसा राज0 हाल तकनिशियन कार्यालय सहायक अभियंता ए-3 जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर राज0। मो.नं. [redacted] व श्री राजेश कुमार मीणा पुत्र श्री बृजलाल मीणा उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट डाबरा तहसील सपोटरा जिला करोली हाल टेक्निशियन सेकेण्ड कार्यालय सहायक अभियंता ए-3 जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर राज0। मो0 नं0 [redacted] होना बताया। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उक्त दोनों गवाहान का कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री जब्बरसिंह का आपस में परिचय करवाकर, परिवादी द्वारा पूर्व मे प्रस्तुत हस्तलिखित रिपोर्ट को दोनो कार्मिको पढ़ाई गई तथा ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर अलमारी से सुरक्षित निकाल कर परिवादी तथा आरोपी के मध्य दिनांक 24.09.2024 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के क्रम में हुई वार्ता को सुनाया गया। दोनों कार्मिको द्वारा परिवादी की रिपोर्ट को पढ़कर एवम रिकॉर्ड वार्ता को सुनकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में स्वतत्र गवाहान रहने की मौखिक स्वीकृति दी एवम परिवादी की रिपोर्ट पर अपने-अपने दिनांकित हस्ताक्षर किये। डिजिटल वॉइस रिकार्डर मे लगा मैमोरी कार्ड जिसमे परिवादी व आरोपी की वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यपान हुई वार्ता रिकॉर्ड है उक्त मैमोरी कार्ड को सुरक्षित हालत में डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर से निकालकर लिफाफा में डालकर अपनी अलमारी में रखा जाकर लॉक किया गया। वक्त 1145 ए.एम. पर परिवादी श्री जब्बरसिंह को रूबरू स्वतंत्र गवाहान के आरोपी श्री शैतानाराम वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला कलेक्टर बालोतरा को दी जाने वाली रिश्वती राशि पेश करने हेतु कहा गया। जिस पर परिवादी श्री जब्बरसिंह ने भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपयें के 36 नोट कुल राशि 18,000 रूपये पेश किये। परिवादी श्री जब्बरसिंह द्वारा प्रस्तुत नोटों के नंबर फर्द पेशकशी में अंकित किये गये जिनका विवरण निम्नानुसार हैः- 1. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 7एस यू 805314 2. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 9एन वी 679498 3. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 1एल एल 649365 4. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 1 एफ वी 030059 5. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 2 ई पी 430972 6. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 5सी एस 166043 7. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 6एफ यू 898724 8. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 7 डी डबल्यू 811792 9. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 8ई एस 993997 10. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 8 ई एच 435195 11. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 6 ए ए 699001 12. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 1 एल टी 170381 13. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 5 ई एस 683671 14. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 2 आर जी 527154 15. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 3एफ सी 372331 16. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 1 एन आर 874519 17. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 7 जी टी 125113 18. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 5पी एफ 765921 19. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 2एल के 059632 20. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 7 एन बी 955101 21. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 2ए वी 253988 22. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 9 यू एल 520185 23. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 7 बी एफ 040325 24. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 8 के आर 121081 25. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 2 सी डबल्यू 155672 26. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 5 डी एन 024068 27. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 4 जी वी 328761 28. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 2 ए पी 536494 29. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 0 डबल्यू पी 146420 30. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 7पी ई 131831 31. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 8वी एल 575420 32. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 7 पी बी 723707 33. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 4क्यू वी 502778 34. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 1 टी एफ 049934 35. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 2 एफ यू 933215 36. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 6 डी आर 343036 श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से कार्यालय हाजा के मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की षीषी मंगवाई जाकर उपरोक्त राशि 18,000/- रूपये के नोटो को अखबार के उपर रखवाकर उन पर हल्का-हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री जब्बरसिंह की जामा तलाषी गवाह श्री राजेश कुमार से लिरवाई जाकर मोबाईल फोन परिवादी के पास रहने दिया गया। इसके अलावा कोई आपतिजनक दस्तावेजात व अन्य राषि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफथलीन पाउडर युक्त 18,000/-रूपये जो श्री शैतानाराम वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला कलेक्टर बालोतरा को दी जानी है, की राषि के नोटों को परिवादी श्री जब्बरसिंह के पहनी हुई पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में 500-500 रूपये के 36 नोट कुल राशि 18,000/- रूपये को श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से रखवाये जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री जब्बरसिंह को हिदायत दी गई कि इस रिष्वती राषि को रास्ते में नहीं छुऐ एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त रिष्वती राशि पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में से निकाल कर देवे तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। ट्रेप पार्टी को देखकर अपने सिर पर आगे से पीछे अपना हाथ दो बार फेर कर या मन् गोरधनराम उप अधीक्षक पुलिस भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर के मोबाईल नं. [redacted] पर रिष्वती राषि आदान-प्रदान होने की सूचना करें। तत्पष्चात् एक साफ प्लास्टिक के गिलास (डिस्पॉजल) में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितान को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लाने वाली महिला कानि. श्रीमती सुशीला के हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश् की गई

कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया-प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में भली भांति समझाया गया। फिर नोटों पर पाउडर लगाने वाली श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया जाकर गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाया जाकर जिस अखबार पर रख कर नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था, उस अखबार को व जिस डिस्पॉजल गिलास मे उक्त गोल तैयार करवाया गया था को जलाकर नष्ट करवाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की षीषी को पाउडर लगाने वाली श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से कार्यालय हाजा के मालखाना में रखवायी गई। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करे। परिवादी श्री जब्बरसिंह को छोड़कर समस्त ब्यूरो टीम व दोनों स्वतन्त्र गवाहान के हाथों को साबुन से साफ धुलवाये गये व ब्यूरो स्टाफ की आपसी जामा तलाशी लिरवाई जाकर अपने-अपने विभागीय परिचय-पत्र एवं अपने-अपने मोबाईल फोन पास रहने दिये गये। कोई भी आपत्तिजनक वस्तु, राशी एवं दस्तावेजात किसी के पास नहीं रहने दिये गये मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा खर्चे के 2,000 रूपये अपने पास रखे। उक्त कार्यवाही फर्द पेशकशी रिश्वती राशि एवं दृष्टान्त सोडियम कार्बोनेट एवं फिनोफथलिन मुर्तिब की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा कानि. रामचन्द्रसिंह को निर्देशित किया गाया कि वक्त मांग सत्यापन आरोपी श्री शैतानाराम द्वारा परिवादी से प्राप्त की गई 500-500 रूपये के 10 नोट कुल राशि 5000 रूपये जिनके मेरे निर्देशानुसार मोबाईल से फोटे लिये जाकर सेव कर रखे है के कम्प्युटर के माध्यम से फोटो प्रतियां निकालकर पेश करें। जिस रामचन्द्रसिंह कानि. द्वारा अपने मोबाईल में सेव नोटों की प्रतियां निकालकर पेश की। उपस्थित गवाहान को बताकर एवं नोटों के नम्बरो से अवगत करवाया गया ताबाद नोटों के फोटो की प्रतियो पर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर करवाये गये एवं वक्त रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता जो डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगें मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है को डीवीआर से निकालकर एक लिफाफे में डालकर अपने पास सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात वक्त 1230 पी.एम.पर मन गोरधनराम उप अधीक्षक पुलिस, श्री जब्बरसिंह परिवादी, हमराह श्री पदमपालसिंह निरीक्षक पुलिस, स्वतत्र गवाह श्री राजेश् कुमार मीणा, राकेश कुमार मीणा, ब्यूरो जाप्ता श्री रामकिशोर सउनि पुलिस, अचलाराम हैडकानि नं. 67, रामचन्द्रसिंह कानि 432, अर्जुनसिंह कानि नं0 319, श्री प्रकाश कानि 265 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय नये मैमोरी कार्ड व अन्य ट्रेप सामग्री 5000 रूपये के नोटों की फोटो प्रतियां साथ लेकर दोनों सरकारी वाहन टवेरा चालक श्री खम्माराम कानि नं0 356 से ब्यूरो कार्यालय से बालोतरा के लिए रवाना होकर वक्त 0230 पीएम पर कार्यालय जिला कलेक्टर बालोतरा के पास पहुंचा जहा पर एकांत मे दोनो वाहनों को खड़े करवाकर परिवादी श्री जब्बरसिंह के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर आरोपी श्री शैतानाराम वरिष्ठ सहायक से वार्ता करवाई। वार्ता के दौरान परिवादी द्वारा बालोतरा पहुचने की बात कहने पर आरोपी श्री शैतानाराम द्वारा उसे कलेक्टर कार्यालय के गेट पर आने के लिए कहा जिस पर परिवादी श्री जब्बरसिंह को आवश्यक समझाईस कर कार्यालय से साथ लाया डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मे नया मैमोरी कार्ड डालकर, खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर का स्विच ऑन कर, परिवादी को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत के साथ आरोपी से रिश्वत राशि आदान प्रदान करने के लिए कार्यालय जिला कलेक्टर बालोतरा के लिए रवाना किया गया एवम श्री रामकिशोर सहायक उप निरीक्षक पुलिस, श्री रामचन्द्रसिंह कानि., श्री अर्जुनसिंह कानि. व श्री प्रकाश कानि. को परिवादी के पीछे आवश्यक दुरी बनाकर उन पर गोपनीय नजर रखने के लिए पैदल रवाना किया गया। मन उप अधीक्षक पुलिस दोनों स्वतंत्र गवाहान एवम समस्त हमरान ने भी अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुवे पौजिशन लेकर परिवादी के गोपनीय इशारे के इंजतार मे व्यस्त हुवे। वक्त 0254 पी.एम. पर परिवादी श्री जब्बरसिंह पुत्र श्री मकाराम जी जाति राजपुरोहित उम्र 32 वर्ष निवासी गांव ईटवाया तहसील सिवाणा जिला बालोतरा ने पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा सिर दो बार हाथ फेरकर किया जिस पर मन गोरधनराम, उप अधीक्षक पुलिस हमरा दोनों मौतबिर मय ब्यूरो जाब्ते के कार्यालय जिला कलेक्टर के बाहर ही स्थित जूस के ढाबे पर परिवादी के पास पहुचां एवं परिवादी को पूर्व में दिया गया डीवीआर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी के सामने सफेद लाईनिंग का शर्ट एवं बैगनी कलर की पेंट पहने हुए एक व्यक्ति बेंच पर बैठा मिला जिसकी ओर परिवादी ने ईशारा कर बताया कि यही श्री शैतानाराम वरिष्ठ सहायक है जिसने अभी-अभी मेरे से मांग कर रिश्वती राशि 18000 रूपये प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेंट की बायीं जेब में रखें है। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय समस्त हमरायान का परिचय देकर सामने बैंच पर बैठे व्यक्ति से परिचय पूछा तो उसने अपना नाम शैतानाराम पुत्र श्री भंवराराम जाति भील उम्र 50 वर्ष निवासी गांव देवलीयाली पुलिस थाना समदड़ी जिला बालोतरा हाल वरिष्ठ सहायक सामान्य शाखा कार्यालय जिला कलेक्टर बालोतरा होना बताया जिस पर परिवादी श्री जब्बरसिंह की ओर ईशारा कर श्री शैतानाराम से पूछा गया कि क्या आप इसे जानते है तथा अभी कोई राशि प्राप्त की है। जिस पर श्री शैतानाराम ने पहले परिवादी को जानने से इनकार किया फिर बाद में बोला कि मैं इन्हे जानता हूं। यह श्री जब्बरसिंह राजपुरोहित निवासी ईटवाया पुलिस थाना सिवाणा जिला बालोतरा है। जिन्होनें अभी-अभी मुझे अपने विरूद्ध जालोर न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में मेरे जानकार वकील के मार्फत मदद करवाने की एवज में 18000 रूपये दिये हैं जो मैनें मेरी पहनी हुई पेंट की बायी जेंब में रखे है। जिस पर पास ही

खड़े श्री जब्बरसिंह ने बताया कि श्री शैतानाराम ने मेरे विरूद्ध जालोर न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 20/2020 में अपना नाम निकलवाने एवं मदद करवाने की एवज में पहले 2000-2000 एवं कल 5000 एवं आज दिनांक 25.09.2024 को 18000 रूपये कुल राशि 27000 रूपये प्राप्त कर चुके है। जिस पर श्री शैतानाराम से परिवादी श्री जब्बरसिंह के विचाराधीन प्रकरण में किस व्यक्ति या अधिकारी से मदद करवाने के बारे मे पूछने पर वह चुप रहा तथा कुछ देर रूककर उसने श्री जब्बरसिंह से 27,000 रूपये प्राप्त करना स्वीकार करते हुए कहा कि मेरे से गलती हो गई है। उक्त स्थान जोधपुर-बाड़मेर मुख्य मार्ग होने एवं भीड़ इकट्ठी हो जाने के कारण अग्रीम कार्यवाही पुलिस थाना बालोतरा में करने का निर्णय लिया गया एवं उपस्थित जाब्ते से आरोपी श्री शैतानाराम के दोनों हाथ कलाई से उपर पकड़वाये जाकर गाड़ी में बिठाकर मय समस्त हमरायान के रवाना होकर पुलिस थाना बालोतरा पहुचें जहां पर उपस्थित थानाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर कम्प्यूटर कक्ष में बैठकर आगे की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए आरोपी श्री शैतानाराम से रिश्वती राशि प्राप्त करने के बारे में पुनः स्पष्टीकरण पूछने पर आरोपी द्वारा उपरोक्त पूर्व में बताये तथ्ये ही बताये जिनकी मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अपने मोबाईल से विडियोग्राफी करवाई गई ताबाद ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर आरोपी की हाथ धोवन की विधिवत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए ट्रेप बॉक्स में से दो प्लास्टिक डिस्पोजल की साफ गिलास निकाल कर उक्त डिस्पोजल गलासों में साफ पीने का पानी भरवाया गया। उक्त दोनों गिलासो में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाया जाकर घोल तैयार किया गया तो दोनो गिलासो के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिसे सभी उपस्थितगण ने घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। एक गिलास के तैयार रंगहीन घोल में आरोपी श्री शैतानाराम वरिष्ठ सहायक के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का झाईनूमा गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितगण ने उक्त घोल का रंग हल्का झाईनूमा गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग कॉंच की शीशीयों में आधा-आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण लिखकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क आर.एच.-1 व आर.एच.-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात् दूसरे डिस्पोजल गिलास के तैयार रंगहीन घोल में आरोपी श्री शैतानाराम के बायें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबो कर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का झाईनूमा गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितगण ने उक्त घोल के रंग को हल्का झाईनूमा गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग कॉंच की शीशीयों में आधा-आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल.एच.-1 व एल.एच.-2 अंकित किया गया। तत्पष्चात उपरोक्त धोवन में प्रयुक्त की डिस्पोजल गिलासों को थाना कार्यालय के डस्टबिन में डलवाया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री शैतानाराम वरिष्ठ सहायक की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री राकेश कुमार मीणा से लिरवाने पर आरोपी श्री शैतानाराम वरिष्ठ सहायक के पहनी हुई पेंट की बायीं जेब में 500-500 रूपये का एक बंडल मिला जिसे श्री राकेश कुमार मीणा से गिनवाने पर कुल राशि 18000/-रूपये होना पाई गई। गवाह श्री राजेश कुमार को पूर्व से मुर्तिब फर्द पेशकशी रिश्वती राशि सुपुर्द कर पेशकशी में अंकित नोटों के नम्बर का मिलान उक्त बरामदगी राशि के नोटों के नम्बरों से करवाने पर नोटों के नम्बर हूबहू फर्द पेशकशी में अंकित नोटों के नम्बरों के अनुसार पाये गये। उक्त भारतीय मुद्रा 18000/-रूपये को बतौर वजह सबूत कपड़े के टुकड़े के साथ सील चिट कर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये। आरोपी श्री शैतानाराम की जामा तलाशी मे उनकी पहनी हुई शर्ट की बायीं जेब में 500-500 रूपये के दो बडंल मिले जिस पर उक्त राशि को गवाह से गिनवाने पर एक बन्डल में 500-500 के 10 नोट कुल राशि 5000 रूपये होना पाये गये तथा दूसरे बन्डल में 500-500 के 08 नोट कुल राशि 4000 रूपये होना पायी गई उक्त राशि के बारे में श्री शैतानाराम से पूछने पर शैतानाराम ने बताया कि 5000 रूपये कल दिनांक 24.09.2024 को श्री जब्बरसिंह ने मुझे मेरे कार्यालय में आकर दिये है वहीं राशि है तथा 4000 रूपये मेरी बचत की खर्चे के लिए है। जिस पर बरामद हुई 5000 रूपये के नोटों का मिलान परिवादी द्वारा वक्त रिश्वती राशि मांग सत्यापन आरोपी श्री शैतानाराम को दी गई राशि 5000 रूपये के नोटों की पूर्व में फोटो कॉपी कर रखी गई थी के नोटों के नम्बरो से गवाह द्वारा मिलान करवाने पर बरामद 5000 रूपये के नोटों के नम्बर पूर्व में करवाई गई फोटों कॉपी के नोटों के नम्बरों से हूबहू होना पाये गये। जिस पर उक्त राशि को भी रिश्वती राशि मानते हुए बतौर वजह सबूत कपड़े के टुकड़े के साथ सील चिट कर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये एवं 4000 रूपये के क्रम में आरोपी का जवाब संतोषप्रद होने के कारण उन्हें पुनः लौटाये गये । आरोपी के जामा तलाशी में ही एक बेनबो कम्पनी का मोबाईल की पेड फोन मिला जिसमें एयरटेल कम्पनी की सिम नम्बर [redacted] जिसके आईएमईआई नमबर 1. 866548051249408 2. 866548051249416 होना पाया गया उक्त मोबाईल को भी कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री शैतानाराम के पहनने के लिए एक लोवर की व्यवस्था कर पहनी हुई पेंट को उतरवाया गया। इसके बाद ट्रेप बॉक्स से एक नया डिस्पोजल गिलास निकलवा कर जिसमें पीने का साफ पानी भरवाया गया। उक्त गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाकर घोल तैयार करवाया गया तो उक्त घोल का रंग रंगहीन रहा। जिसे सभी उपस्थितगण ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त तैयार रंगहीन घोल में रिश्वती राशि बरामदगी स्थल आरोपी की पहनी पेंट की बायीं जेब को उल्टाकर दो-तीन बार डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितान ने घोल का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार

किया गया। उक्त गहरे गुलाबी रंग के घोल को कांच की दो शीशीयों में आधा-आधा भरवाकर चस्पों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों को शील्ड मोहर कर मार्क पी-1 व पी-2 अंकित किया गया। उपरोक्त की गई धोवन की कार्यवाही की विडियोग्राफी मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल फोन से करवाई गई। उक्त पेंट की जेब को सुखोकर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर एक कपड़े की थैली में डालकर कपडे० की थैली को शील्ड मोहर किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री शैतानाराम से परिवादी श्री जब्बरसिंह द्वारा अपने मुकदमें से संबंधित दिये गये दस्तावेज के बारे पूछने पर बताया कि उक्त दस्तावेज मेरे कार्यालय के सामने पार्किंग में रखी मोटरसाईकिल नम्बर आरजे 39 एसएफ 9607 के लगे बैग में रखे हुए हैं। तत्पश्चात कार्यवाही में लिये गये प्रादर्श एवं बरामदा रिश्वती राशि को श्री रामकिशोर सहायक उप निरीक्षक पुलिस हमरा जाब्ते को सुरक्षित हालात मे संभलाये जाकर आरोपी श्री शैतानाराम वरिष्ठ सहायक के बताये अनुसार परिवादी के विरूद्ध विचाराधीन प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जो पूर्व में परिवादी द्वारा अपना काम करवाने के लिए उन्हे दिये गये थे जो जिला कलेक्टर के पार्किंग मे खड़ी अपनी मोटरसाईकिल के बेग में रखा होना बताने के कारण उक्त दस्तावेज जब्त करने हेतु हमरा दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं दस्तयाबशुदा आरोपी श्री शैतानाराम को साथ लेकर मय ब्यूरो जाब्ता श्री अचलाराम हैड कानि. तथा परिवादी श्री जब्बरसिंह के मय सरकारी वाहन के जिला कलेक्टर कार्यालय बालोतरा के लिए रवाना होकर वक्त 0615 पी.एम. पर जिला कलेक्टर बालोतरा के पार्किंग में पहुचां जहां उपस्थित आरोपी श्री शैतानाराम वरिष्ठ सहायक ने एक मोटरसाईकिल नम्बर आरजे 39 एसएफ 9607 की तरफ ईशारा कर बताया कि यही मेरी मोटरसाईकिल है जिसके बेग में श्री जब्बरसिंह द्वारा अपने काम के लिए पूर्व में मुझे दिये गये थे जो रखे हुए है। जिस पर उपस्थित गवाहान से परिवादी के मोटरसाईकिल के बेग की तलाशी लिरवाई गई तो उसमें रखे कुछ लूज दस्तावेज मिले जिनका रूबरू गवाहान अवलोकन करने पर श्री जब्बरसिंह के विरूद्ध पुलिस थाना बागरा मे दर्ज प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट की पेज संख्या 03 से 06 तक की फोटो प्रतियां एवं ग्राम भू.अ.नि. क्षेत्र बाकरा पटवारी हल्का आलासन जिला जालोर के खसरा संख्या 23 की भू नक्शा की तीन फोटो प्रतियां होना पाई गई। जो प्रकरण से संबंधित होने से पृष्ठांकित करवाकर प्रथम पृष्ठ व अंतिम पृष्ठ पर संबंधित हस्ताक्षर करवाकर जरिये फर्द जब्ती एसीबी जब्त किये गये। बाद कार्यवाही के मन् उप अधीक्षक पुलिस हमरायान दस्तायाबशुदा मुल्जिम शैतानाराम परिवादी श्री जब्बरसिंह स्वतंत्र गवाहान मय ब्यूरो जाब्ता श्री अचलाराम हैड कानि. मय सरकारी वाहन के घटनास्थल के निरीक्षण के लिए वक्त 0645 पीएम पर घटनास्थल जिला कलेक्टर कार्यालय के पास ही स्थित बालोतरा-बाड़मेर (खेड़ रोड़) पर पहुचा जहां पर रूबरू मौतबिरान परिवादी श्री जब्बरसिंह के निशादेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द घटनास्थल एवं हालात मौका मुर्तिब किया जाकर संबंधितगण हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल रनिंग नोट की गई ताबाद घटनास्थल रवाना होकर पुलिस थाना बालोतरा पहुचां वक्त 0705 पी.एम. पर इस समय मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री शैतानाराम पुत्र श्री भंवराराम जाति भील उम्र 50 वर्ष निवासी गांव देवलीयाली पुलिस थाना समदड़ी जिला बालोतरा हाल वरिष्ठ सहायक सामान्य शाखा कार्यालय जिला कलेक्टर बालोतरा को रूबरू मौतबिरान उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस गिरफ्तारशुदा मुल्जिम श्री शैतानाराम वरिष्ठ सहायक दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री जब्बरसिंह मय ब्यूरो दल के फर्दात अनुसार मालखाना आईटम साथ लेकर एवं टेªप बॉक्स मय सरकारी वाहन टवेरा नम्बर आरजे 14 यूसी 8795 के जोधपुर के लिए रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय पहुचा एवं कार्यवाही में लिये गये प्रादर्श आरोपी श्री शैतानाराम वरिष्ठ सहायक के दोनों हाथों के लिए गये धोवन की चार शील्ड शुदा शीशीयां मार्क आरएच 01, आरएच 02 तथा एलएच 01 व एलएच 02 रिश्वती राशि बरामदगी स्थल आरोपी के पेंट की बायीं जेब का लिया गया धोवन शील्ड शुदा शीशीयां मार्क पी-01, पी-02 तथा पैंट का कपडे० की थैली में शील्ड शुदा पैकेट बरामदा रिश्वती राशि पृथक-पृथक कोने से कपडे० में शील्ड चिट 18000 रूपये एवं 5000 रूपये तथा आरोपी श्री शैतानाराम का एक बेनबो कम्पनी का मोबाईल खुली हालत में मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैड कानि. को सुरक्षित हालत में संभलाया जाकर जमा मालखाना करवाया गया। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के अपने पास सुरक्षित रखा गया। परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान को कल दिनांक 26.09.2024 को 08 ए.एम. पर कार्यालय हाजा में उपस्थित आने हेतु पाबन्द कर रूखसत किया गया। दिनांक 26.09.2024 वक्त 1045 एएम पर पूर्व से पाबंदशुदा गवाह श्री राजेश कुमार व श्री राकेश् कुमार मीणा एवं परिवादी श्री जब्बरसिंह ब्यूरो चौकी पर उपस्थित आये। जिस पर वक्त 1050 ए.एम.पर मन् उप अधीक्षक पुलिस की अभिरक्षा मे सुरक्षित रखा डीवीआर मय मैमोरी कार्ड जिसमें वक्त रिश्वती राशि लेन-देन से पूर्व एवं वक्त लेन-देन परिवादी श्री जब्बरसिंह व आरोपी श्री शैतानाराम के मध्य मोबाईल/रूबरू हुई वार्ता रिकॉर्ड है उक्त मैमोरी कार्ड को डीवीआर से निकालकर एक लिफाफे में रखकर अपने पास सुरक्षित रखा तथा पूर्व से अपने पास सुरक्षित रखा मैमोरी कार्ड जिसमें वक्त रिश्वती राशि मांग सत्यापन परिवादी श्री जब्बरसिह एवं आरोपी श्री शेतानाराम वरिष्ठ सहायक के मध्य दिनांक 24.09.2024 को हुई मोबाईल व रूबरू वार्ता रिकॉर्ड है, उक्त मैमोरी कार्ड को डीवीआर में लगाकर डीवीआर को लेपटॉप से जोड़कर लेपटॉप के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित गवाहान एवं परिवादी श्री जब्बरसिंह की उपस्थिति में श्री रामचन्द्रसिंह कानि. 432 रिकॉर्ड वार्ता को सुन-सुन समझकर शब्द ब शब्द हूबहू फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग मुर्तिब की गई। रिकॉर्ड वार्ता में एक आवाज अपनी व दूसरी आवाज आरोपी श्री शेतानाराम वरिष्ठ सहायक की होना पहचान परिवादी श्री जब्बरसिंह द्वारा की

गई। उक्त डीवीआर से दो सीडीयां तैयार की जाकर दोनो सीडीयों को डब मानते हुए खुली हालात में रखी गई तथा मूल मैमोरी कार्ड को एक कपडे० की थैली में डालकर शील्ड मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये ताबाद उक्त शील्ड शुदा मूल मैमोरी कार्ड व दोनो डब सीडीयो को मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैड कानि. 67 को सुपुर्द कर मालखाना में जमा करवाया गया। वक्त 1245 पी.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस की अभिरक्षा मे सुरक्षित रखा डीवीआर में लगे मैमोरी कार्ड जिसमें वक्त रिश्वति राशि लेन-देन परिवादी श्री जब्बरसिह एवं आरोपी श्री षैतानाराम वरिश्ठ सहायक के मध्य दिनांक 25.09.2024 को हुई रूबरू वार्ता जो डीवीआर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है उक्त डीवीआर को कार्यालय में उपस्थित गवाहान एवं परिवादी श्री जब्बरसिह की उपस्थिति में निकालकर श्री रामचंद्र सिंह कानी 432 से लेपटॉप कनेक्ट करवाकर लेपटॉप के माध्यम से सुन-सुन समझकर शब्द ब शब्द हूबहू फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मुर्तिब की गई। रिकॉर्ड वार्ता में एक आवाज अपनी व दूसरी आवाज आरोपी श्री शेतानाराम वरिष्ठ सहायक की होना पहचान परिवादी श्री जब्बरसिह द्वारा की गई। उक्त डीवीआर से दो सीडीयां तैयार की जाकर डब सीडियां मानते हुए खुली हालात में रखी गई तथा डीवीआर मूल मैमोरी कार्ड को एक कपडे० की थैली में डालकर शील्ड मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये ताबाद उक्त शील्ड शुदा मूल मैमोरी कार्ड व दोनों डब सीडीयो को मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैड कानि. 67 को सुपुर्द कर मालखाना में जमा करवाया गया। कार्यवाही की मोबाईल से की गई विडियोग्राफी की लेपटॉप के माध्यम से पेनड्राईव में सेव किया गया। अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन एवं वक्त लेन-देन से परिवादी श्री जब्बरसिंह से आरोपी श्री शैतानाराम वरिष्ठ सहायक कार्यालय सामान्य शाखा जिला कलेक्टर बालोतरा द्वारा परिवादी के विरूद्ध जालोर न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 20/2020 अन्तर्गत धारा 451, 379, 427 भादस में एपीपी के मार्फत नाम निकलवाने एवं ग्राम बाकरा में स्थित डोली की जमीन नाम करवाने की एवज में वक्त रिश्वती राशि मांग सत्यापन दिनांक 24.09.2024 को 5000 रूपये बतौर रिश्वत मांगकर प्राप्त करना तथा दिनांक 25.09.2024 को वक्त रिश्वती राशि लेन देन शेष तय की गई रिश्वती राशि 18000 रूपये मांगकर प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेंट की बायीं जेब मे रखना जहां से ब्यूरो द्वारा रूबरू मौतबिरान रिश्वती राशि बरामद कर किये गये जुर्म मे गिरफ्तार करना तथा परिवादी के पेडिंग कार्य न्यायालय में विचाराधीन मुकदमें से संबंधित एवं भु अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बाकरा एवं पटवार हल्का आलासन के खसरा नम्बर 23 का भू नक्शा की प्रति आरोपी के मोटरसाईकिल के बेग से जब्त होना आदि अपराधिक कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्टया कारित करना पाया गया है। अतः श्री शैतानाराम पुत्र श्री भंवराराम जाति भील उम्र 50 वर्ष निवासी देवलीयाली (डोलियाली) तहसील सिवाणा पुलिस थाना समदड़ी जिला बालोतरा हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय सामान्य शाखा जिला कलेक्टर बालोतरा के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन सादर प्रेषित है। भवदीय, (गोरधनराम) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसयू जोधपुर..........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री गोरधनराम,उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसयू जोधपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) में आरोपी श्री शैतानाराम पुत्र श्री भंवराराम जाति भील उम्र 50 वर्ष पेशा नौकरी निवासी गांव देवलीयाली(डोलियाली) पुलिस थाना समदड़ी जिला बालोतरा हाल वरिष्ठ सहायक सामान्य शाखा कार्यालय जिला कलेक्टर बालोतरा के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री चैनप्रकाश, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टचार निरोधक ब्यूरो, पाली-द्वितीय को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 408 पर अंकित है। (महावीर सिंह राणावत) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1164-67 दिनांक 26-09-2024 प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जोधपुर। 2-जिला कलक्टर बाडमेर। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर। 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसयू जोधपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**
or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** CHEN PRAKASH **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Mahaveer Singh Ranawat
Location: Rajasthan,IN
Date: 2[illegible]/2024 1[illegible]0

Name(नाम): MAHAVEER SINGH

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	20/01/1974				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)